न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 374/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 142/2026, आरक्षी केन्द्र बालोतरा,
CNR : RJBA010010362026

रफीक पुत्र बाबुखान, उम्र 25 वर्ष, निवासी डंडाली, पीएस सिणधरी, जिला बालोतरा

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 142/2026, पुलिस थाना बालोतरा, अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 4/21 एमएमडीआर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री भगवतसिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 10.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रार्थी की घटना के समय मौके पर उपस्थिति नहीं थी न ही चालक द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली में बजरी परिवहन किए जाने का उसे कोई ज्ञान था ।

3. यह भी तर्क दिया कि चालक मोहनलाल का जमानत आवदेन माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी का मामला उससे गंभीर प्रकृति का नहीं है । प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण एमएमडीआर एक्ट के तहत दर्ज होकर लंबित नहीं है। प्रार्थी दिनांक 07.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण एवं अनुसंधान में समय लगने की पूर्ण संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी वाहन ट्रेक्टर ट्रोली का स्वामी है जिसने ट्रेक्टर सकरदीन से जरिये इकरारनामा क्रय किया है एवं बजरी के परिवहन के समय ट्रेक्टर ट्रोली पर नियंत्रण प्रार्थी का ही था एवं प्रार्थी के निर्देशानुसार ही मोहनलाल वाहन में बजरी भरकर ले जा रहा था । वर्तमान में अवैध बजरी खनन व निर्गमन के अपराधों में वृद्धि हो रही है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	थाना	चालान नं.	वर्तमान स्थिति
1	32/2022	379 भादसं	बालोतरा	251/09.11.2022 धारा 411 भादसं	पैंडिंग कोर्ट

6. उभय पक्षकारान की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से मामला इस प्रकार जाहिर होता है कि वाहन ट्रेक्टर मैसी फर्ग्यूशन 1032 डीआई मय ट्रोली में चालक मोहनलाल बजरी भरकर जा रहा था जिसने पुलिस जाब्ते को देखकर बजरी खाली कर दी एवं ट्रेक्टर ट्रोली लेकर भागने लगा जिसका पीछा किया तथा वह पकड़ा गया। चालक जिसके द्वारा घटना के समय ट्रेक्टर ट्रोली का संचालन करना बताया है, का जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जिससे प्रार्थी का मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है । प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण एमएमडीआर एक्ट के तहत दर्ज होकर लंबित नहीं है । प्रार्थी दिनांक 07.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है । अतः इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त रफीक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये जमानत अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

8. आदेश आज दिनांक 10.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

HITESH MANGNANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by HITESH MANGNANI
Date: 2026.07.13 10:08:48 +0530